भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 584

जिसका उत्तर शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**न्यायाधीशों के रिक्त पद**

**+584. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की विभिन्न अदालतों में जजों के पंद्रह हजार से अधिक पद खाली पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो देश की अदालतों में जजों के खाली पदों और लंबित मुकदमों की संख्या क्या है और इन मामलों को कब तक निपटा लिया जाएगा ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख) :** उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में तारीख की स्थिति के अनुसार न्यायाधीशों की मंजूर और कार्यरत पद-संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| न्यायालय का नाम | तारीख को स्थिति | न्यायाधीशों की मंजूर पद-संख्या | न्यायाधीशों की कार्यरत पद-संख्या | रिक्तियों की संख्या |
| उच्चतम न्यायालय | 01.12.2018 | 31 | 27 | 4 |
| उच्च न्यायालय | 01.12.2018 | 1,079 | 695 | 384 |
| जिला/अधीनस्थ न्यायालय | 30.09.2018 | 22,644 | 17,509 | 5,135 |

सांविधानिक कार्यढांचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की ज़िम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की है। जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, कुछ राज्यों में भर्ती उच्च न्यायालयों द्वारा की जाती है, जबकि अन्य राज्यों में उच्च- न्यायालयों द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से भर्ती की जाती है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक निरंतर और सहयोगकारी प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है। उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव का आरंभ भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव का आरंभ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। हालांकि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरे जाने का हर एक प्रयास किया जाता है, परंतु उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियाँ सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, न्यायाधीशों की उन्नति (उच्चतम न्यायालय में) और न्यायाधीशों के पदों में बढ़ोत्तरी के कारण भी उद्भूत होती रहती हैं।

**(ग) :** तारीख 01.12.2018 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 56,994 थी । तारीख 10.12.2018 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की सख्या 47.68 लाख और तारीख 10.12.2018 की स्थिति के अनुसार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 2.91 करोड़ थी। न्यायालयों में मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर है । मामला के निपटाए जाने के लिए लगने वाला समय विभिन्न कारकों जैसे, भौतिक-अवसंरचना की उपलब्धता, समर्थक न्यायालयीय स्टाफ और लागू नियमों और प्रक्रिया के अलावा, मामले का प्रवर्ग (सिविल या आपराधिक), अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हित धारकों का सहयोग अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और मुवक्किलों पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के मामलों को संबंधित न्यायालयों द्वारा निपटाने के लिए कोई समय-ढांचा विहित नहीं किया गया है। न्यायालयों में मामलों को निपटाने में सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार, मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए पूर्णतया पतिबद्ध है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*